रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267979
CG-DL-E-26112025-267979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5259]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/अग्रहायण 5, 1947
No. 5259]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/AGRAHAYANA 5, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5440(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा' (पैन AAALS2490J), जिसका गठन ओडिशा राज्य सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के तहत किया गया था, को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में किया गया है निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त वैधानिक सहमति एवं प्राधिकरण शुल्क;

(ख) शासकीय क़ानूनों के अंतर्गत वसूले गए दंड एवं लेवी;

(ग) केन्द्र एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान सहायता;

(घ) नोडल एजेंसी की क्षमता में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त सहायता अनुदान;

(ङ) पर्यावरण अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए प्राप्त अंशदान का हिस्सा;

(च) विविध आय, जैसे स्क्रैप की बिक्री, परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ, आरटीआई आवेदन शुल्क, बैंक गारंटी की जब्ती, निविदा शुल्क, परीक्षा शुल्क, विश्लेषण शुल्क और परामर्शदाता शुल्क का पैनलीकरण, विविध शुल्क और संविधि के तहत वसूली आदि;

(छ) उपरोक्त (क) से (च) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन प्रभावी होगी कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए लागू मानी जाएगी, जो कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से 2026-27 के लिए होगी है और यह वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2027-28 के लिए लागू होगी, जो कर निर्धारण वर्ष 2027-28 से 2028-29 के लिए होगी है।

[अधिसूचना सं. 165/2025/फा. सं. 300196/49/2025-आईटीए-I

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5440(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'State Pollution Control Board, Odisha' (PAN AAALS2490J), a Board constituted by the State Government of Odisha under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) Statutory Consent & Authorization Fees received under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981;

(b) Penalties & Levies collected under governing statutes;

(c) Grant-in-aid received from Central & State Governments;

(d) Grant in Aid received on behalf of Central & State Governments in the capacity of nodal agency;

(e) Share of contributions received for carrying out environmental studies & research;

(f) Miscellaneous income, like sale of scrap, profit on sale of assets, RTI application fees, forfeiture of Bank Guarantee, tender fees, examination fees, analysis charges and empanelment of consultant fees, miscellaneous fees and recoveries under the Statutes etc;

(g) Interest earned on (a) to (f) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that State Pollution Control Board, Odisha-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for Financial Year 2023-24 to 2025-26 relevant for the assessment years 2024-25 to 2026-27 and shall be applicable for Financial Years 2026-27 to 2027-28 relevant for the assessment years 2027-28 to 2028-29.

[Notification No. 165/2025/F. No. 300196/49/2025-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267980
CG-DL-E-26112025-267980

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5261] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/अग्रहायण 5, 1947
No. 5261] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/AGRAHAYANA 5, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5442(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गठित बोर्ड 'हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एचएसबीटीई), पंचकुला' (पैन: **AAAGT0008A**) को, होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है :

(क) केन्द्र सरकार और हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, असाइनमेंट और अंशदान।

(ख) शुल्क, जैसे संबद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रवासन शुल्क, प्रतिलेखन शुल्क, आदि।

(ग) रॉयल्टी और दंड सहित प्रभार।

(घ) वसीयतें, दान और बंदोबस्ती या अन्य अंशदान।

(ङ) एचएसबीटीई में निहित किसी भी प्रतिभूतियों की बिक्री आय और संपत्ति से किराया और लाभ।

(च) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन प्रभावी होगी कि हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, पंचकुला -

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
(ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 के लिए लागू मानी जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2025-2026 से 2028-2029 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2026-27 से 2029-30 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 163/2025/फा. सं. 300196/76/2024-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5442(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Haryana State Board of Technical Education (HSBTE), Panchkula' (PAN: AAAGT0008A), a Board constituted by Government of Haryana, in respect of the following specified income arising to the said Board, as follows:

(a) Grants, Assignments and Contributions received from the Central Government and the State Government of Haryana.
(b) Fees, such as Affiliation Fees, Examination Fees, Migration Fees, Transcription Fees, etc.
(c) Royalties and charges including penalties.
(d) Bequests, donations and endowments or other contributions.
(e) Sale proceeds of any securities and Rents & profits from property vested in HSBTE.
(f) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Haryana State Board of Technical Education, Panchkula –

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have applied for Assessment Year 2025-2026 relevant to Financial Year 2024-25 and applicable for Assessment Years 2026-27 to 2029-30 relevant to Financial Years 2025-2026 to 2028-2029.

[Notification No. 163/2025/F. No. 300196/76/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267982
CG-DL-E-26112025-267982

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5260] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/अग्रहायण 5, 1947
No. 5260] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/AGRAHAYANA 5, 1947

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5441(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा "ओडिशा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण" (पैन: AAAGO0648F) "(इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), जोकि "रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 16) के तहत गठित एक प्राधिकरण है" को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ "रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 16) के अंतर्गत स्थापित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं.164 /2025 फा. सं. 300195/69/2024-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5441(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as "the Income-tax Act"), the Central Government hereby notifies " Odisha Real Estate Regulatory Authority" (PAN: AAAGO0648F) (hereinafter referred to as "the assessee"), an authority constituted under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (No. 16 of 2016), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2025-26, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (No. 16 of 2016) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 164/2025 F. No. 300195/69/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.11.26 22:46:04 +05'30'